<u>शासनादेश सं०–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301 (1)/2024 वित्त सामान्य/अनुभाग–3 दिनांक 28.06.2024</u>

विकल्प-पत्र 1. नाम-शैलेन्द्र वर्मा ID NO-UP6426 2. वर्तमान पद-अपर जिला जज, मुरादाबाद 3. वेतनमान— 1,83,490 4. वर्तमान विभाग का नाम-उ०प्र० न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा 5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु नियुक्ति अनुभाग-4 (उ०प्र० सरकार) विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद 6.. विज्ञप्ति की तिथि-विज्ञापन संख्या—ए-2/ई-1/2003 दिनांकित 15.11.2003 (रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि 22.01.2003) 7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि– 26.05.2006 [विज्ञप्ति संख्या-2430/2-4-06-32(1)/2001 टी0सी-1 लखनऊः दिनांक 26 मई 2006 (नियुक्ति अनुभाग-4)]

3. योगदान की तिथि—	15.06.2022
9. जन्मतिथि—	15.06.2006
	21.05.1973
10. सेवानिवृत्ति की तिथि–	31.05.2033

मैं **शैलेन्द्र वर्मा पुत्र कल्पनाथ वर्मा** शासनादेश संख्या— 14/2024/सा—3—243/दस— 2024/30 (1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम् समझा¶ जाये।

पदनारी ID NO-UP6426

<u>घोषणा-पत्र</u>

मैं शैलेन्द्र वर्मा, अपर जिला जज, मुरादाबाद यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कम संख्या–01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

पदना

ID NO-UP6426

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री **शैलेन्द्र वर्मा**, पदनाम **अपर जिला जज, मुरादाबाद** को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना** में सम्मिलित किये जाने हेतु विभाग की संस्तुति प्रदान की जाती है।

कार्यालयध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की संस्तुति